फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 73/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी नथमल पुत्र सांवरमल जाति राना निवासी न्यामा ने वाद पत्र केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम न्यामा की जमाबन्दी संवत 2076–79 नया खाता खंख्या 25 में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाथूराम पुत्र सांवरमल जाति ढोली निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम नथमल पुत्र सांवरमल जाति राना निवासी न्यामा है। प्रार्थी का नाम नथमल पुत्र सांवरमल किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का खारिया कनीराम भु अभिलेख नि. खूड़ी व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2076–79 में प्रार्थी का नाम नाथूराम पुत्र सांवरमल जाति ढोली निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम नथमल पुत्र सांवरमल जाति राना निवासी न्यामा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव भू–अभिलेख निरीक्षक खूड़ी की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में नया खाता संख्या 25 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	न्यामा	25	नाथूराम पुत्र सांवरमल जाति ढोली निवासी न्यामा	नथमल पुत्र सांवरमल जाति राना निवासी न्यामा

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 . को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

28/8/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ